कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, इलाहाबाद।
पत्रांक 1971 / 15 दिनांक,इलाहाबाद, नवम्बर, 8 ,2017।

पावर ग्रिड मु०सं०प्र० 1016 इलाहाबाद 9/11/17

सेवा में,

मुख्य प्रबन्धक,
पावरग्रिड कारपोरेशन आफ इण्डिया,
छठां तल, इन्दिरा भवन,
सिविल लाइन, इलाहाबाद।

विषयः— जनपद इलाहाबाद में 400 के0वी0 एस0/सी0 सिगरौली—इलाहाबाद ट्रान्समिशन लाइन के कोरीडोर में बाधक 10 वृक्षों के पातन एवं 0.0874 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बंध में।

संदर्भः— मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक—1274/11—सी—श्रध्न्न्क् ज्तंदे ध 22065ध2016, दिनांक 06.11.2017 तथा उ0प्र0 शासन का पत्रांक—पी—105/14—2—2015—800(106)/2017 दिनांक 02—11—2017।

उपरोक्त संदर्भित पत्र (छाया प्रति संलग्न) जो आपको भी पृष्ठांकित है का संदर्भ ग्रहण करें। जिसके माध्यम से आप द्वारा 400 के0वी0 एस0/सी0 सिगरौली—इलाहाबाद ट्रान्समिशन लाइन के निर्माण हेतु ट्रान्समिशन लाइन के कोरीडोर में बाधक 10 वृक्षों के पातन एवं 0.0874 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बंध प्रेषित प्रस्ताव की सैद्धांतिक स्वीकृति उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्राप्त हुयी है।

उक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तो का प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालन निम्नानुसार किया जायेगा—

शर्त संख्या—01 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अर्न्तगत आई0ए0संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र सं0 5—3/2007— एफ0सी0, दिनांक 05—02—2209 के तहत दिये गये निर्देशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) प्रभावित संरक्षित वन भूमि 0.0874 हे0 का रू0 8.03 लाख प्रति हेक्टेयर की दर से (8.03X0.0874=70182.20 या 70182.00) धनराशि रू0 70182.00 होगी, ई—पेमेण्ट आन लाइन पोर्टल पर जमा की जायेगी।

शर्त संख्या—02 के अनुसार प्रस्तावित वन भूमि के बदले दुगुने अवनत भूमि अर्थात 0.1748 हे0 क्षेत्र में वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख रखाव हेतु यथा संशोधित वर्तमान दर के अनुसार धनराशि रू0 753100.00 होगी।

शर्त संख्या—03 के अनुसार प्रस्तावित लाइन के नीचे छोटे आकार के औषधीय/शोभाकार पौधों का यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख रखाव हेतु यथा संशोधित वर्तमान दर के अनुसार धनराशि रू0 34200.00 होगी।

उक्त धनराशि अलग—2 मदवार प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण Compensetory Afforestation Fund Management and Planning Authority) Corporation Bank (भारत सरकार का उपक्रम) नई दिल्ली में आंन लाइन ई—पोर्टल के माध्यम से ई—चालान द्वारा जमा कराया जायेगा। तदोपरान्त पावती की छाया प्रति सहित सैद्धांतिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का विवरण, दिया गया हो) प्रेषित की जाये, तत्पश्चात ही विधिवत स्वीकृति हेतु प्रस्ताव उच्च स्तर को प्रेषित किया जायेगा।

अतः आप सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तो के अनुपालन में बिन्दुवार लिखित अनुपालन आख्या उपलब्ध करायें जिससे प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही की जा सके।

संलग्नकः—उपरोक्तानुसार।

(दिव्या)
प्रभागीय निदेशक,
सा0वा0प्रभाग,इलाहाबाद।

संख्या— /सम दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0, लखनऊ।
2— वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक सामाजिक वानिकी उ0प्र0, इलाहाबाद वृत्त, इलाहाबाद।

(दिव्या)
प्रभागीय निदेशक,
सा0वा0प्रभाग,इलाहाबाद।